संख्या-48/2024/362/23-10002(099)/12/2023

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 21 फरवरी, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद सहारनपुर में भूरादेव मन्दिर से माँ शाकुम्बरी देवी के निकट पहाड़ी नदी पर मुख्य मन्दिर तक 02 लेन के 02 सेतुओं एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1337/प्रा0आगणन-सहारनपुर/सेतु-6/23-24, दिनांक 23.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अनुदान सं0-57/83 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद सहारनपुर में भूरादेव मन्दिर से माँ शाकुम्बरी देवी के निकट पहाड़ी नदी पर मुख्य मन्दिर तक 02 लेन के 02 सेतुओं एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 4678.72 लाख (रूपये छियालिस करोड़ अटठहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्न तालिका के कॉलम-5 में अंकित अनुदान सं0-57 से रू0 1290.23 लाख एवं कॉलम-6 में अंकित अनुदान सं0-83 से रू0 347.32 लाख अर्थात कुल रू0 1637.55 लाख (रूपये सोलह करोड़ सैंतीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों व प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं 0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2023-2024 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में भूरादेव मन्दिर से माँ शाकुम्बरी देवी के निकट पहाड़ी नदी पर मुख्य मन्दिर तक 02 लेन के 02 सेतुओं एवं पहुंच मार्ग	4678.72	1290.23	347.32	1637.55	सेतु निगम
		योग -	**4678.72**	**1290.23**	**347.32**	**1637.55**	

(रूपये सोलह करोड़ सैंतीस लाख पचपन हजार मात्र)

क्रमशः

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी ।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(10) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति होने की स्थिति में भूमि अर्जन की कार्यवाही CALA (Competent Authority for land Acquisition) के माध्यम से विभागाध्यक्ष द्वारा न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(14) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-

17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(17) प्रायोजनान्तर्गत यूटिलिटी शिफिटंग की मद में विद्युत विभाग हेतु रू0 88.79 लाख एवं वन विभाग हेतु रू0 66.29 लाख (क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 3 हेक्टेअर वन भूमि इत्यादि हेतु) की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफिटंग के प्रस्तावित कार्यों का विस्तृत विवरण के आधार पर Verification & Revalidation कराते हुये कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं तदनुसार यूटिलिटी शिफिटंग की लागत अनुमन्य की जायेगी।

(18) प्रायोजनान्तर्गत यूटिलिटी शिफिटंग का प्राविधान होने की स्थिति में कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण व अन्य संबंधित कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफिटंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफिटंग के कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा Verification & Revalidation कराते हुये यूटिलिटी शिफिटंग के प्रस्तावित कार्यों को कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यूटिलिटी शिफिटंग संबंधी कार्यों हेतु भविष्य में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी। विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफिटंग हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) यदि प्रयोजना प्रस्ताव में विद्युत विभाग से संबंधित यूटिलिटी शिफिटंग सम्मिलित है, तो निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफिटंग का विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये।

(20) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है। सेतु की लम्बाई एवं चौड़ाई आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप मे परिर्वतन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(21) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(22) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17 मार्च 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 12,90,23,000 (रुपये बारह करोड़ नव्वे लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 3,47,32,000 (रुपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या–E-8-997-X-2023-24- दिनांक: 08-1-2024 ,मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

क्रमशः

संख्या-48/2024/362(1)/23-10002(099)/12/2023, **तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, सहारनपुर/जिलाधिकारी, सहारनपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता, सहारनपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
8- संबंधित कोषाधिकारी ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन ।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।